भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020

(2020 का 4)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2020

फाइल संख्या 6–19/2019–बीबीएंडपीए----भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में एक और संशोधन करने के लिए एतत्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 4) कहा जाएगा।
(ii) ये विनियम 01 मई, 2020 से लागू होंगे।

2. दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) (इसमें आगे इन्हें मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 4 में खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा: **"(vi)** प्रत्येक बीएसओ, सीएमएसपी, यूएएसपी और यूनीफाइड लाइसेंस (यूएल) लाइसेंसधारक गैर–भेदपूर्ण तरीके से और अनुसूची 1 में निर्दिष्ट सीमा के भीतर अपने नेटवर्क पर समाप्त होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स के लिए समापन प्रभार पेश करेंगे।''
3. मूल विनियमों की अनुसूची 1 में, पैराग्राफ 1 में कॉलम ''समापन प्रभार'' के अंतर्गत तालिका में ''0.30 रु. (मात्र तीस पैसे) प्रति मिनट'' शब्दों और अंकों को ''0.35 रु. (मात्र पैंतीस पैसे) प्रति मिनट से कम नहीं और 0.65 रु. (मात्र पैंसठ पैसे) प्रति मिनट से अधिक नहीं'' शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव

टिप्पणी 1: मूल विनियम दिनांक 29.10.2003 को फाइल संख्या 409–5/2003–एफएन (2003 का 4) के तहत और बाद के संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत प्रकाशित किए गए थे:

(i) 25.11.2003 का 409-5/2003-एफएन (2003 का 5) (पहला संशोधन);

(ii) 12.12.2003 का 409-5/2003- एफएन (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);

(iii) 31.12.2003 का 409-5/2003-एफएन (2003 का 7) (तीसरा संशोधन);

(iv) 06.01.2005 का 409-8/2004-एफएन (2005 का 1) (चौथा संशोधन);

(v) 11.04.2005 का 409-8/2004-एफएन (2005 का 7) (पांचवां संशोधन), जिसे 2005 की अपील संख्या 7 पर माननीय टीडीएसएटी ने अपने दिनांक 21.09.2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था;

(vi) 23.02.2006 का 409-5/2005-एफएन (2006 का 1) (छठा संशोधन);

(vii) 10.03.2006 का 409-5/2005-एफएन (2006 का 2) (सातवां संशोधन);

(viii) 21.03.2007 का 409-2/2007-एफएन (2007 का 2) (आठवां संशोधन);

(ix) 27.03.2008 का 409-22/2007-एफएन (2008 का 2) (नौवां संशोधन);

(x) 09.03.2009 का 409-12/2008-एफएन (2009 का 2) (दसवां संशोधन);

(xi) 23.02.2015 का 409-8/2014-एनएसएल-1 (2015 का 1) (ग्यारहवां संशोधन);

(xii) 24.02.2015 का 409-8/2014-एनएसएल-1 (2015 का 2) (बारहवां संशोधन);

(xiii) 19.09.2017 का 10-8/2016-बीबीएंडपीए (2017 का 5) (तेरहवां संशोधन);

(xiv) 12.01.2018 का 10-8/2016-बीबीएंडपीए (2018 का 2) (चौदहवां संशोधन);

(xv) 17.12.2019 का 6-14/2019-बीबीएंडपीए (2019 का 10) (पंद्रहवां संशोधन)।

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का 4) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट किया गया है।

''दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन

क. इंटरकनेक्शन

1. इंटरकनेक्शन का तात्पर्य ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी व्यवस्थाओं से है, जिनके अंतर्गत सेवा प्रदाता अपने उपभोक्ताओं को दूसरे सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क के लिए एक्सेस देने के लिए अपने उपकरणों, नेटवर्क और सेवाओं को कनेक्ट करता है।

2. इंटरकनेक्शन उपभोक्ता के नजरिये से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता या नेटवर्क ऑपरेटर इंटरकनेक्शन व्यवस्था के बिना सेवाओं, जिनकी वे मांग करते हैं, को प्राप्त नहीं कर सकते या आपस में संवाद नहीं कर सकते। नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच इंटरकनेक्शन को सुगम बनाने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। इन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए कुछ मुद्दों पर ऑपरेटरों की सहमति होनी चाहिए और विनियामक द्वारा तय किए जाने चाहिए। इंटरकनेक्शन व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा के आधारों में से एक है और दूरसंचार क्षेत्र के उचित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है।

ख. इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी)

3. इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) सफल इंटरकनेशन व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मुद्दा है। आईयूसी के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया हैः

(1) घरेलू समापन प्रभार

4. घरेलू समापन प्रभार (डीटीसी) वो प्रभार है जो पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल शुरू होता है, के द्वारा पहुंच प्रदाता जिसके नेटवर्क में कॉल समाप्त होता हैं, को देय होता है। कॉलिंग–पार्टी–पे (सीपीपी) व्यवस्था में कॉलिंग उपभोक्ता कॉल के लिए अपने पहुंच प्रदाता को भुगतान करता है और कॉलिंग पार्टी का पहुंच प्रदाता आमतौर पर नेटवर्क उपयोग लागत को कवर करने के लिए कॉल्ड पार्टी के पहुंच प्रदाता को समापन प्रभार का भुगतान करता है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार

5. अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार वो प्रभार है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (आईएलडीओ) द्वारा देय होता है, यह ऑपरेटर विदेश से आने वाली कॉल को देश में पहुंच प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर कॉल समाप्त होती है, तक पहुंचाता है।

(3) ट्रांजिट प्रभार

6. जब दो दूरसंचार नेटवर्क सीधे जुड़े नहीं होते हैं, तो वे एक मध्यवर्ती नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से समापन नेटवर्क पर कॉल भेजी जाती है। ऐसे मध्यवर्ती नेटवर्क को ट्रांजिट नेटवर्क कहते हैं और इंटरकनेक्शन/नेटवर्क उपयोग लागत को कवर करने के लिए ट्रांजिट नेटवर्क को अदा किए जाने वाले प्रभार को ट्रांजिट प्रभार कहते हैं।

(4) कैरिज प्रभार

7. भारत में पहुंच प्रदाता लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए), इन्हें सर्कल भी कहा जाता है, में पहुंच सेवाओं की पेशकश कर सकता है; इसके लिए इंटर–सर्कल ट्रैफिक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर (एनएलडीओ) के माध्यम से संचालित करना अपेक्षित होगा।

इंटर–सर्कल कॉल्स को कैरी करने की लागत को कवर करने के लिए किसी पहुंच प्रदाता द्वारा एनएलडीओ को अदा किए जाने वाले प्रभार को कैरिज प्रभार कहते हैं।

(5) ओरिजिनेशन प्रभार

8. कॉलिंग पार्टी का पहुंच प्रदाता लागू टैरिफ के अनुसार कॉलिंग पार्टी (यानी उपभोक्ता) से कॉल प्रभार लेता है। उपभोक्ता से ली गई इस रकम में से पहुंच प्रदाता को कॉल्ड पार्टी के पहुंच प्रदाता को समापन प्रभार और एनएलडीओ को कैरिज प्रभार (इंटर–सर्कल कॉल के मामले में) का भुगतान करना होता है। पहुंच प्रदाता कॉल को प्रारंभ करने की लागत को कवर करने के लिए शेष रकम को अपने पास रखता है। कॉलिंग पार्टी के पहुंच प्रदाता द्वारा अपने पास रखी गई इस रकम को ओरिजिनेशन प्रभार कहते हैं। भारत में विनियामक द्वारा ओरिजिनेशन प्रभार निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं और ये फोरबेयरंस में रखे गए हैं।

(6) अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार

9. अंतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार वे प्रभार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक का आदान–प्रदान करने के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं और भारतीय आईएलडीओ के बीच आदान–प्रदान किए जाते हैं। अतर्राष्ट्रीय निपटान प्रभार में अंतर्राष्ट्रीय कैरिज प्रभार, राष्ट्रीय कैरिज प्रभार (यदि कोई हों) और घरेलू समापन प्रभार शामिल हैं।

ग. भारत में आईटीसी के लिए विनियामक व्यवस्था का क्रमिक विकास

10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके बाद, जिसे भादूविप्रा या प्राधिकरण कहा गया है) ने 24.01.2003 के 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1)' के माध्यम से आईटीसी सहित इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क स्थापित किया था। आईयूसी को और बेहतर और सुगम बनाने लिए, प्राधिकरण ने 29.10.2003 को 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 4)' जारी किया। इस विनियम ने दिनांक 24.01.2003 के आईयूसी विनियम की जगह ली और 01.02.2004 से लागू हुआ और यह आज की तिथि में देश में मूल आईयूसी विनियम है। इसके प्रारंभ से लेकर अभी तक इसमें 15 (पंद्रह) संशोधन किए जा चुके हैं।

11. '29.10.2003 के 'दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 4)' के माध्यम से प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ–साथ आईटीसी की दर 0.30 रु. प्रति मिनट निर्धारित की थी। तब से, प्राधिकरण ने आईटीसी में तीन संशोधन किए हैं:

क) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 द्वारा आईटीसी की दर 01.04.2009 से 0.40 रु. प्रति मिनट की गई और

ख) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 द्वारा आईटीसी की दर 01.03.2015 से 0.53 रु. प्रति मिनट की गई और

ग) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2018 (इसके बाद इसे आईयूसी विनियम, 2018 कहा गया है) के द्वारा आईटीसी की दर 01.02.2018 से 0.30 रु. प्रति मिनट की गई।

घ. आईटीसी की मौजूदा समीक्षा

12. 2018 में आईटीसी के निर्धारण में शामिल मुद्दों का विश्लेषण करते समय प्राधिकरण ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

क) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक को कैरी करने के लिए कैरियर रूट को ओवर–द–टॉप (ओटीटी) रूट और ग्रे रूट से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

ख) कैरियर रूट के जरिये इंटरनेशनल इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक में वित्त वर्ष 2016–17 से कमी आनी प्रारंभ हो गई है।

13. प्राधिकरण ने यह भी टिप्पणी की कि अगर अंतरपणन अवसर यानी घरेलू वॉइस कॉल के लिए आईटीसी और टैरिफ के बीच अंतर को भरा जाता है या न्यूनतम रखा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक को कैरी करने के लिए ग्रे रूट के प्रति आकर्षण में कमी आएगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग ट्रैफिक के कैरियर रूट में उचित वृद्धि देखने को मिलेगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने आईयूसी विनियम, 2018 के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस प्रकार टिप्पणी की है:

"प्राधिकरण देश में आईएलडी वॉइस ट्रैफिक के रूझानों और स्वरूपों की बारीकी से निगरानी करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो प्राधिकरण समय–समय पर आईटीसी की समीक्षा कर सकता है"।

14. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण दूरसंचार बाजार के विकास और इनकमिंग एवं आउटगोइंग लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय (आईएलडी) वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रुझानों की लगातार निगरानी कर रहा है। इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रुझानों का समय–समय पर विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकरण कैरियर रूट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग और आउटगोइंग वॉयस ट्रैफिक से संबंधित डेटा एकत्र करता रहा है। इस डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018 में आईटीसी की दर की समीक्षा करने के बाद, कैरियर रूट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग वॉयस ट्रैफिक में गिरावट की दर कम हो गई है। जहां तक भारत से आउटगोइंग वॉइस ट्रैफिक का संबंध है, तो इनकमिंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक की तुलना में बहुत कम है। आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफ़िक में केवल मामूली कमी देखी गई है। इसके अलावा, वैश्विक रुझान और भारत में डेटा–सक्षम ग्राहकों की संख्या में तेज वृद्धि की वजह से वॉइस कॉलिंग के लिए ओटीटी संचार अनुप्रयोगों का उपयोग बढ़ा है। चूंकि ओटीटी के अधिकांश संचार अनुप्रयोग वॉइस कॉल के लिए शुल्क नहीं लेते हैं, इसलिए ओटीटी वॉइस ट्रैफिक में वृद्धि ग्रे–मार्केट के ऑपरेशन को भी प्रभावित कर सकती है।

15. पिछले कुछ वर्षों में, यह भी देखा गया है कि दुनिया और भारत में दूरसंचार बाजार की संरचना, वॉइस से डेटा–केंद्रित बाजार में बदल गई है। ट्रिपल–प्ले ऑफरिंग (वीडियो, वॉइस और डेटा) जैसी सेवाओं के अभिसरण की प्रवृत्ति ने सेवा प्रदाताओं की मूल्य निर्धारण रणनीतियों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके परिणामस्वरूप बंडल्ड टैरिफ का प्रचलन बढ़ा है। इस दौरान, भारत में, यह भी देखा गया है कि अधिकांश मोबाइल टैरिफ ऑफर बंडल्ड प्लान की तरफ चले गए हैं, यानी वे वॉइस कॉल मिनट, एसएमएस और डेटा को शामिल करते हैं। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के मामले में, इनकमिंग और आउटगोइंग वॉइस कॉल, डेटा और संदेशों की तय पूर्व–निर्धारित मात्रा वाले बंडलों के रूप में टैरिफ पैकेज लोकप्रिय हो रहे हैं। टैरिफ ऑफरिंग में इन वृद्धियों के मद्देनजर, ऐसा लगता है कि खुदरा स्तर पर, व्यक्तिगत उत्पाद यानी वॉइस, डेटा और संदेश की प्रति यूनिट दरों की प्रासंगिकता कम हो रही है।

16. उपर्युक्त घटनाक्रम से प्रश्न उठता है कि क्या आईटीसी के लिए प्रति मिनट के आधार पर एक समान दर निर्धारित करने वाली वर्तमान विनियामक व्यवस्था अभी भी प्रासंगिक है या इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? क्या भारतीय आईएलडीओ को अंतर्राष्ट्रीय कैरियर्स के साथ मोलभाव के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए? कैरियर–रूट ट्रैफिक और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ पर इन बदलावों के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? हितधारकों के साथ इन सभी मुद्दों और किसी अन्य प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, प्राधिकरण ने आईटीसी की मौजूदा विनियामक व्यवस्था की समीक्षा को जरूरी समझा है।

17. इस पृष्ठभूमि के आधार पर, प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 08.11.2019 को "इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। हितधारकों को अपनी लिखित टिप्पणी 09.12.2019 और प्रति–टिप्पणी 23.12.21019 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

18. कंपनियों, संगठनों, फर्मों और व्यक्तियों सहित टीएसपी, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड की गई । सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 03.02.2020 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई । किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, प्राधिकरण द्वारा इस मुद्दे पर अब तक प्राप्त सभी टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों पर विचार किया गया है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर आईटीसी से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण और आगे के विचार–विमर्श को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

ङ. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियों का विश्लेषण

19. दिनांक 08.11.2019 के परामर्श पत्र में, प्राधिकरण ने आईयूसी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी थी:

i. (प्र1): अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी बाजार संरचना में हो रहे बदलावों के दृष्टिगत, क्या अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार (आईटीसी) के लिए मौजूदा विनियामक व्यवस्था में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, यानी मौजूदा विनियामक व्यवस्था को आईटीसी की समान दर से बदलकर वैकल्पिक दृष्टिकोण कर दिया जाए? कृपया अपनी टिप्पणी के समर्थन में तर्क देकर इसका औचित्य सिद्ध करें।

ii. यदि प्र1 के लिए आपका जवाब हां में है, तो वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? कृपया वैकल्पिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करें और वर्तमान दृष्टिकोण की तुलना में इसके लाभों के बारे में बताएं।

iii. यदि प्र1 के लिए आपका जवाब ना में है, तो अंतरराष्ट्रीय टेलीफोनी बाजार के बदलते परिदृश्य में, विनियामक द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए अन्य कौन से विनियामक उपाय किए जाने की आवश्यकता है? कृपया अपनी टिप्पणी के समर्थन में तर्क देकर इसका औचित्य सिद्ध करें।

iv. आप अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं।

20. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, अधिकांश हितधारक आईटीसी दर में वृद्धि के पक्ष में थे। उनके अनुसार, इससे भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को अधिक किफायती आईएसडी टैरिफ प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी, देश को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और सरकारी खजाने को अधिक राजस्व मिलेगा। हालाँकि, जहां तक आईटीसी के लिए विनियामक व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर हितधारक एकमत नहीं हैं। उनमें से कुछ ने समापन प्रभार में वृद्धि के साथ आईटीसी की स्थिर समान दर की मौजूदा विनियामक व्यवस्था को जारी रखने का समर्थन किया, जबकि अन्य ने वैकल्पिक विनियामक व्यवस्था का समर्थन किया, जैसे कि ऊपरी सीमा के साथ फोरबेयरंस में या एक निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में।

21. अधिकांश हितधारकों ने कहा कि आईटीसी दर को उसके वर्तमान स्तर यानी 0.30 रु. प्रति मिनट से बढ़ाया जाना चाहिए; वहीं कुछ हितधारकों ने तर्क दिया कि आईटीसी को कम करके घरेलू समापन प्रभार (डीटीसी) के स्तर पर लाया जाना चाहिए। उपभोक्ता संगठनों में से एक ने आईटीसी को पूरी तरह से समाप्त करने की भी वकालत की। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में डीटीसी निम्नानुसार है:

(क) वायरलेस से वायरलेस कॉल के लिए 0.06 रु. प्रति मिनट; और

(ख) वायरलाइन से वायरलेस, वायरलेस से वायरलाइन और वायरलाइन से वायरलाइन कॉल के लिए शून्य।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों का सारांश और उनका विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

I. मौजूदा विनियामक व्यवस्था की समीक्षाः

22. एक हितधारक के अनुसार, डेटा सेवाओं को अपनाने में भारी वृद्धि, बंडल्ड टैरिफ प्लान्स की व्यापकता, ओटीटी पैठ में तेजी से वृद्धि, भारत से आउटगोइंग ट्रैफिक में गिरावट के उभरते रुझान के साथ कैरियर रूट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक में गिरावट के रुझान को देखते हुए, यह समय आईटीसी की समीक्षा के लिए उपयुक्त है। इस हितधारक ने आगे कहा कि 2018 में आईटीसी में कमी के पीछे प्राधिकरण की अच्छी मंशा का अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक वैल्यु चेन के विभिन्न हितधारकों द्वारा अनादर किया गया है। इस हितधारक के अनुसार, आईटीसी में 43% से अधिक की कमी का लाभ कभी भी विदेशी सेवा प्रदाताओं द्वारा अंतिम उपयोगकर्ताओं को नहीं दिया गया और आईटीसी दर में कमी के बावजूद भारत के लिए कॉल प्रभार स्थिर बने रहे या बढ़ गए थे।

23. कुछ हितधारक आईटीसी के लिए वैकल्पिक विनियामक व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं जैसे कि फोरबेयरंस व्यवस्था या पारस्परिक समापन दर व्यवस्था। उनका मानना है कि आईटीसी दर को फोरबेयरंस में रखने से, एक सेवा प्रदाता को उच्च आईटीसी दरों को रखने के लिए आकर्षित किया जा सकता है, जो विदेशी कैरियर्स के साथ लंबे मोलभाव का कारण बन सकता है। इसी तरह, पारस्परिक समापन दर व्यवस्था के विकल्प में मूल्य–वृद्धि की होड़ लगने की संभावना है, जो अनुकूल समापन दर वाले देशों के माध्यम से ट्रैफिक के संचालन का कारण बन सकती है। इसलिए, वे मानते हैं कि नियत आईटीसी सबसे बेहतर व्यवस्था है। इन हितधारकों ने यह कहते हुए आईटीसी दर में वृद्धि की सिफारिश की है कि इसका प्रभाव भारतीय ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा और दूसरी ओर भारतीय ऑपरेटरों को अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी और परिणामस्वरूप सरकारी खजाने के राजस्व में वृद्धि होगी।

24. एक सरकारी स्वामित्वाधीन टीएसपी ने कहा कि आईयूसी का मूल्यांकन वास्तविक लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, और इस तरह की लागतों में एचआर लागतें भी शामिल की जानी चाहिए। समापन प्रभार के किसी भी पहलू को तय करते समय, भादूविप्रा को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नेटवर्क लागतों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक मिनटों में विभिन्न कारणों से लगातार कमी आ रही है, इसलिए आईटीसी में प्रत्यक्ष कमी के माध्यम से या अन्य तरीकों जैसे फोरबेयरंस के नियम को लागू करने से की गई अतिरिक्त कमी करने के परिणामस्वरूप और नेटवर्क लागत के वसूल नहीं होने के कारण टीएसपी को होने वाली हानि बढ़ जाएगी। इस हितधारक ने अनुरोध किया है कि आईएलडी समापन प्रभार के लिए वर्तमान विनियामक प्रावधानों को जारी रखा जा सकता है। बहरहाल, यदि आवश्यक हो तो एक सीमा में ट्रैफिक–वॉल्यूम स्लैब आधारित आईएलडी समापन प्रभार की दरें तय की जा सकती हैं।

25. एक टीएसपी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनी संरचना के ओटीटी की ओर शिफ्ट करने से नियत समान दृष्टिकोण से वैकल्पिक दृष्टिकोण की ओर शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता भी हो सकती है। इस टीएसपी के अनुसार, आईटीसी में इस तरह के दृष्टिकोण को एक निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में रखा जाना चाहिए। उक्त टीएसपी के अनुसार, इस तरह की निर्धारित सीमा, न्यूनतम अर्थात 0.75 रु. से 1.25 रु. होनी चाहिए।

26. ऐसी ही राय रखने वाले एक हितधारक ने कहा कि इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा अधिक है और कई कारक हैं जो विनियामक के नियंत्रण में नहीं हैं जिनमें ओटीटी की चुनौतियां शामिल हैं। इस परिदृश्य में, भादूविप्रा द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस में रखने का विकल्प, टीएसपी को संवाद करने और ओटीटी की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक शक्ति देगा। उनके विचार में, टीएसपी हमारे देश में या अन्य देशों के टीएसपी के साथ वॉल्यूम आधारित या फ्लैट–रेट प्रभार पर भी मोलभाव कर सकते हैं। इसने भारत में आने वाली अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए आईटीसी को फोरबेयरंस में रखने का भी सुझाव दिया है, क्योंकि यह कई देशों में

अपनाया जाता है और भारत में आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के मामले में भी। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय कैरिज प्रभार और अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार भी फोरबेयरंस में रखे गए हैं।

27. एक अन्य हितधारक ने कहा है कि आईटीसी को कम करके ग्रे मार्केट पर अंकुश लगाने और कैरियर रूट पर ट्रैफिक को बढ़ाने की रणनीति को सीमित सफलता मिली है। उसने तर्क दिया कि एक अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल के लिए, एक विनियमित दर के माध्यम से या फोरबेयरंस में रखने की व्यवस्था के मामले में, दर को घरेलू रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए न कि विदेशी पहुंच प्रदाता (एफएपी) द्वारा। फोरबेयरंस में रखने की व्यवस्था के मामले में, सेवा प्रदाताओं के अप्रत्याशित व्यवहार के जोखिमों और आईटीसी में अभूतपूर्व बदलाव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने से सुरक्षा देने के लिए आईटीसी के लिए उच्चतम दर के साथ फोरबेयरंस के दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है।

28. उपर्युक्त बिंदुओं से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश हितधारकों ने आईटीसी की समीक्षा के लिए सुझाव दिया है, जबकि आईटीसी के लिए विनियामक व्यवस्था के संबंध में उनकी राय अलग–अलग है। कुछ हितधारकों ने समान आईटीसी दर की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का सुझाव दिया है, कई अन्य हितधारकों ने वैकल्पिक दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। मोटे तौर पर, हितधारकों ने निम्नलिखित पांच दृष्टिकोणों के बारे में टिप्पणी की है, जैसे

क) नियत समान आईटीसी की मौजूदा विनियामक व्यवस्था को जारी रखना;

(ख) आईटीसी को पूरी तरह से फोरबेयरंस में रखना;

(ग) पारस्परिक आईटीसी दरों को रखना अर्थात् भारत और विदेश में आईटीसी की एक ही दर रखना;

(घ) आईटीसी को उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस में रखना; और

(ङ) पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर आईटीसी को फोरबेयरंस में रखना।

29. प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि कोई भी इनकमिंग कॉल (अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉल सहित) कॉल्ड पार्टी के पहुंच सेवा प्रदाता (यानी वो पहुंच सेवा प्रदाता, जिसका ग्राहक इनकमिंग कॉल प्राप्त करता है) का एकाधिकार है। यदि आईटीसी पूर्ण फोरबेयरंस के अधीन है, तो कॉल्ड पार्टी का पहुंच सेवा प्रदाता आईएलडीओ से अधिक से अधिक समापन प्रभार लेने का प्रयास कर सकता है। यह प्रभार आईएलडीओ द्वारा एफएपी से लिया जाएगा। एक निश्चित सीमा से परे, एफएपी आईटीसी की दर में ऐसी वृद्धि को भारत–बाउंड आउटगोइंग आईएलडी कॉल के टैरिफ को बढ़ाकर अपने ग्राहकों को हस्तांतरित कर सकते हैं। इससे कैरियर रूट से ओटीटी रूट में आईएलडी ट्रैफिक को शिफ्ट करने में तेजी आ सकती है। इसलिए, आईटीसी की दर में बेतहाशा वृद्धि से किसी भी हितधारक का भला नहीं हो सकता है। तदनुसार, इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज किया जाता है।

30. जहां तक पारस्परिक आईटीसी दर दृष्टिकोण का संबंध है, हितधारकों ने इस दृष्टिकोण के खिलाफ कारण गिनाए हैं। इस व्यवस्था में मूल्य–वृद्धि की होड़ बढ़ने की संभावना है, जिससे बाद में, अनुकूल समापन दर वाले देशों के माध्यम से ट्रैफिक रूटिंग हो सकती है। ऐसे मामलों में, ओरिजिनेटिंग कॉल लोकेशन की पहचान छिपी रहती है, जिससे कॉलिंग लाइन पहचान (सीएलआई) का मिथ्याकरण होगा, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि यह दृष्टिकोण आईएलडी बाजार में अधिक अनिश्चितता और व्यवधान पैदा कर सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज किया जाता है।

31. जहां तक निश्चित एकसमान आईटीसी के मौजूदा विनियामक व्यवस्था का संबंध है, हालांकि यह ऑपरेशन्स में सुगमता सुनिश्चित करता है, परंतु यह तेजी से बदलते आईएलडी बाजार में सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक लचीलेपन को प्रतिबंधित करता है। आईटीसी की पूर्व–निर्धारित दर की वजह से भारतीय ऑपरेटर विदेशों में अपने विदेशी समकक्षों के साथ समापन दरों पर मोलभाव करने में सक्षम नहीं हैं, जो फिलहाल फोरबेयरंस के अधीन है। इसके अलावा, निर्धारित समान आईटीसी दृष्टिकोण के लिए प्राधिकरण के लगातार हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके अंतर्निहित कारक जैसे विदेशी मुद्रा दरें, ट्रैफिक पैटर्न, विदेशी एंड पर समापन प्रभार आदि में खुले बाजार में बदलाव होते रहते हैं। यह व्यवस्था उस समय अधिक उपयुक्त थी, जब अधिकांश आईएलडी ट्रैफिक केवल कैरियर रूट से संचालित होता था। अब, नई प्रौद्योगिकियों के आने से, जब ओटीटी रूट आईएलडी वॉइस कॉल के लिए एक विकल्प के रूप में सामने आया है, तो प्राधिकरण का भी मानना है कि आईटीसी की दर तय करने में सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ लचीलापन देना दूरसंचार क्षेत्र के हित में होगा। सेवा प्रदाता इस लचीलेपन का उपयोग आईटीसी की इष्टतम दर की खोज के लिए कर सकते हैं, जो न केवल कैरियर रूट के माध्यम से ट्रैफिक को बढ़ाने में मदद करता है, जोकि उनके हित में है, बल्कि ग्रे–मार्केट ऑपरेशन्स को भी हतोत्साहित करता है।

32. उपरोक्त पैरा 28 में आईटीसी की दर तय करने के लिए पहले तीन विकल्पों को चर्चा के बाद खारिज कर दिया गया है, शेष विकल्प उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस और पूर्व–निर्धारित सीमा के अंदर फोरबेयरंस के हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चूंकि इनकमिंग आईएलडी ट्रैफ़िक आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफ़िक से बहुत अधिक है, इसलिए आईटीसी भारतीय टीएसपी के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आईटीसी के लिए कोई वैकल्पिक विनियामक व्यवस्था तय करते समय, विनियामक निश्चितता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक खुले बाजार में, जहां बाजार सहभागियों का आकार काफी अलग होता है, मोलभाव की शक्ति भी अलग–अलग होती है। विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों में भी ऐसा ही प्रदर्शित होता है। इस समय, उच्चतम सीमा के साथ फोरबेयरंस में रखने के विकल्प को चुनने से राजस्व के इस महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में अनिश्चितता पैदा हो सकती है, खासकर छोटे ऑपरेटरों को। यदि ऐसे ऑपरेटर बेहतर दरों पर मोलभाव करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस स्रोत से उनका मौजूदा राजस्व भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए, प्राधिकरण की राय में, इस समय, जब हम निश्चित समान आईटीसी व्यवस्था से शिफ्ट कर रहे हैं, तो पूर्व–निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में रखना ही एक बेहतर विकल्प होगा। काफी हद तक, यह ऐसे हितधारकों की चिंताओं का भी निवारण करेगा जो निश्चित समान आईटीसी व्यवस्था को जारी रखने की वकालत कर रहे हैं क्योंकि यह निकटतम वैकल्पिक दृष्टिकोण है, जो सेवा प्रदाताओं को बाजार में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है। सेवा प्रदाताओं को प्रदान किया गया ऐसा लचीलापन उन्हें अपने ग्राहकों के हित में नए टैरिफ मॉडल तैयार करने में मदद कर सकता है।

33. वर्तमान में, भारत में आईएलडी वॉइस टेलीफोनी बाजार में, हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के आईएलडीओ हैं। पहले वे हैं, जो केवल आईएलडी स्पेस में काम करते हैं, और दूसरे वे हैं, जो पहुंच सेवा के साथ–साथ आईएलडी स्पेस में काम करते हैं। आईटीसी के लिए संशोधित विनियामक व्यवस्था अर्थात् पूर्व–निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में, सेवा प्रदाताओं, जिनके पास आईएलडीओ ऑपरेशन्स भी हैं, को एकल आईएलडीओ को पारदर्शी और पक्षपातहीन तरीके से मैचिंग समापन दरों को पेश करना आवश्यक होगा। इस मद में किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि आवश्यक समझा गया, तो भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त जांच शुरू की जा सकती है और परिणामी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

II. आईटीसी की दर

34. कुछ हितधारकों का मानना था कि भारत में 0.30 रु. प्रति मिनट आईटीसी की दर शायद दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि, यहां तक कि पड़ोसी सार्क देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की औसत मिश्रित आईटीसी दर लगभग 4 रु. से 6.50 रु. प्रति मिनट है। जबकि मध्य पूर्व में औसत मिश्रित आईटीसी की दर 8 से 9 रु. प्रति मिनट है। इन हितधारकों के अनुसार, केवल कुछ देशों के पास आईटीसी की तुलनात्मक दरें हैं, हालांकि ये अभी भी भारत की तुलना में बहुत अधिक है। इन हितधारकों ने अपने तर्कों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार दरों के निम्नलिखित वैश्विक रुझान का सहारा लिया है:

चित्र 1: वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय समापान प्रभार दरें

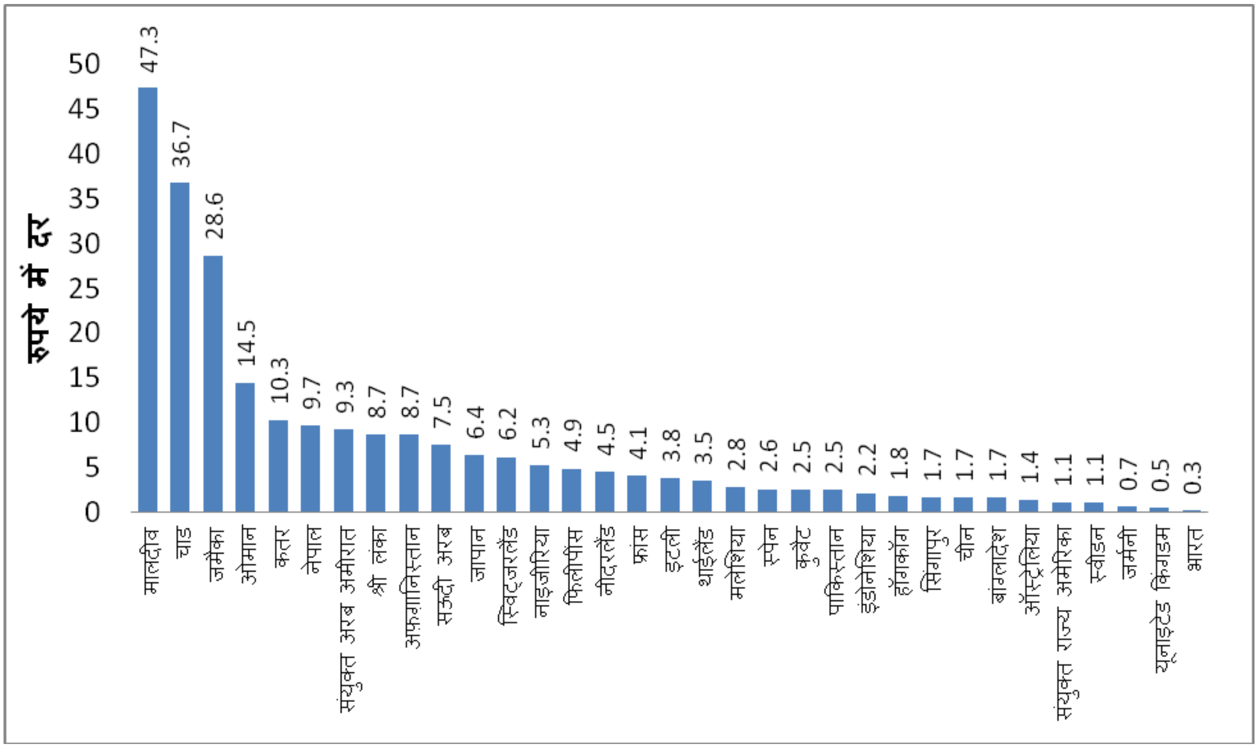

स्रोत: एक टीएसपी द्वारा अपनी टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत

अतः, इन हितधारकों के अनुसार, भारतीय ऑपरेटर भारत से आने वाली कॉल की समाप्ति के लिए विदेशी पहुंच प्रदाता (एफएपी) को औसतन 3.0 से 3.50 रु. प्रति मिनट का भुगतान करते हैं और भादूविप्रा ने भारतीय पहुंच प्रदाताओं के लिए 0.30 रु. प्रति मिनट आईटीसी तय किया है जो दुनिया के औसत के 10 प्रतिशत से भी कम है।

35. एक टीएसपी ने तर्क दिया कि प्राधिकरण ने आईटीसी दर 0.53 रु. प्रति मिनट से घटाकर 0.30 रु. प्रति मिनट करते समय, ग्रे रूट पर अंकुश लगाने को सबसे महत्वपूर्ण विनियामक प्राथमिकता माना था ताकि कैरियर रूट के माध्यम से समाप्त होने वाले भारतीय ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो। लेकिन, आईएलडी समापन प्रभार में इस कमी के बावजूद, कैरियर रूट के माध्यम से आईएलडी इनकमिंग मिनटों में अधिक तेजी से गिरावट जारी है।

36. एक अन्य टीएसपी ने तर्क दिया कि कई देशों में एफएपी के पास अंतरराष्ट्रीय कैरियर्स के साथ व्यावसायिक मोलभाव से तय किए हुए दर हैं। इस टीएसपी के अनुसार, भारत से भारतीय आईएलडीओ को आउटबाउंड कॉल की लागत बहुत अधिक है और इनमें से

अधिकांश लागत एफएपी द्वारा अपने नेटवर्क पर समाप्त कॉल के लिए प्रभारित की जाती है। एफएपी आरंभ और समापन दोनों के लिए भारतीय पहुंच ऑपरेटरों से कई गुना अधिक कमा रहे हैं। तदनुसार, इस टीएसपी के अनुसार, आईटीसी की दर में वृद्धि करना उचित है जो सीपी में निर्धारित मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा।

37. एक हितधारक के अनुसार, पिछली समीक्षा के बाद से दो वर्षों की अवधि में, यूरोप, अफ्रीका, एशिया–प्रशांत आदि में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आईटीसी में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक भुगतान किया गया है और भारतीय ग्राहकों से आईएसडी टैरिफ के रूप में अधिक दरें प्रभारित की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि कम समापन प्रभार भारतीय टीएसपी के लिए समानता सुनिश्चित नहीं करता है। तदनुसार, इस हितधारक के अनुसार, विदेशी ऑपरेटरों को भुगतान की जाने वाली आईएलडी लागत में वृद्धि और ग्राहकों से आईएलडी राजस्व में कमी का ऑपरेटरों पर समग्र प्रभाव बेहद नकारात्मक रहा है।

38. कुछ हितधारकों ने तर्क दिया कि विश्व औसत से कम आईटीसी दर की वजह से भारतीय पहुंच प्रदाताओं का राजस्व उनके विदेशी समकक्षों की तुलना में कम है। इस तर्क के समर्थन में, एक टीएसपी ने कहा कि वित्त वर्ष 2016–2017 में आईटीसी की दर 0.53 रु. प्रति मिनट थी और आईटीसी की मद में विदेशी ऑपरेटरों से प्राप्य राशियों और आउटगोइंग अंतर्राटष्ट्रीय कॉल के लिए विदेशी ऑपरेटरों को देय के आधार पर देश के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा का अर्जन 3675 करोड़ रु. था। इस टीएसपी के अनुसार, वित्त वर्ष 2018–2019 में, देश के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन घटकर 950 करोड़ रु. हो गया था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा लाभ में लगभग 75 प्रतिशत की कमी आई है। इसलिए, इन हितधारकों के अनुसार, आईटीसी दर में कमी से विदेशी मुद्रा के मामले में सरकार और राष्ट्र को काफी घाटा उठाना पड़ा है।

39. एक सेवा प्रदाता के अनुसार, चूंकि अलग–अलग देश अलग–अलग आईएससी प्रभारित करते हैं, इसलिए भारत के लिए इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए समापन प्रभार क्षेत्र/देश के साथ अलग–अलग रहते हुए फोरबेयरंस में रखे जाने चाहिए। लेकिन ओरिजन–आधारित आईटीसी को लागू करना एक चुनौती हो सकती है क्योंकि विभिन्न एग्रीगेटर्स/विदेशी आईएलडीओ द्वारा हब्स के माध्यम से कॉल्स ट्रांसमिट की जा रही हैं। उसी के मद्देनजर, इस सेवा प्रदाता ने सिफारिश की है कि आईटीसी को तत्काल प्रभाव से 1 रु. प्रति मिनट और बाद में 3 से 3.50 रु. प्रति मिनट किया जाना चाहिए, अर्थात् भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा विदेशों में आईएलडी कॉल की समाप्ति के लिए दिए गए प्रभार के बराबर।

40. अधिकांश टीएसपी का यह मानना है कि ग्रे–मार्केट की चिंताओं के कारण आईटीसी में कमी की आवश्यकता नहीं है। एक टीएसपी ने तर्क दिया है कि ग्राहक के कड़े सत्यापन, ऑपरेटरों द्वारा किए गए विधिवत विश्लेषण और दूरसंचार विभाग के एलएसए (लाइसेंस सेवा क्षेत्र) यूनिटों को नियमित रिपोर्टिंग द्वारा ग्रे–मार्केट की चिंताओं को पहले से ही समाधान किया जा रहा है। उनके विचार में, जहां तक ग्रे मार्केट से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का सवाल है, लागत उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो इस चैनल का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए, इन हितधारकों के अनुसार, आर्बिट्राज को कम करके, हम सुरक्षा आवश्यकताओं को नरजंदाज करने के इरादे से विशेष रूप से सेटअप ग्रे–मार्केट ऑपरेशन को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

41. कुछ हितधारक इस विचार के हैं कि, आईएलडी कॉल के संबंध में, कैरियर से ओटीटी रूट में प्रतिस्थापन वैश्विक संदर्भ में कम नहीं हो रहा है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में कैरियर मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वॉइस ट्रैफिक में निरंतर कमी और ओटीटी मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वॉइस ट्रैफिक में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस तर्क के समर्थन में, एक टीएसपी ने कैरियर बनाम ओटीटी मार्ग के माध्यम

से किए गए अनुमानित ट्रैफिक (बिलियन मिनटों में) की एक साल–दर–साल की तुलना प्रदान की है, जिसे तालिका–1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1: कैरियर बनाम ओटीटी रूट के माध्यम से संचालित कुल ट्रैफिक बिलियन मिनट

वर्ष	कैरियर ट्रैफ़िक	ओटीटी ट्रैफिक	कैरियर ट्रैफ़िक में % वृद्धि	ओटीटी ट्रैफ़िक में % वृद्धि
2015	553.3	418.5		
2016	527.9	570.3	–4.6%	36.3%
2017	483.8	757.2	–8.4%	32.8%
2018*	449.9	952.4	–7.0%	25.8%

*2018 के आंकड़ें अनुमानित हैं

स्रोतः 'द स्टेट ऑफ द नेटवर्क' का टेलीजियोग्राफी 2019 संस्करण

इस रिपोर्ट के अनुसार, कैरियर रूट के माध्यम से इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय वॉइस ट्रैफिक में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसी ही राय रखने वाले एक अन्य टीएसपी का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग के लिए ओटीटी में वृद्धि एक वैश्विक घटना है, इसने विदेशों में ऑपरेटरों को अपनी समापन दर को कम करने के लिए विवश नहीं किया है। इस टीएसपी के अनुसार, इस समस्या का समाधान ओटीटी कंपनियों को विनियमित करने में निहित है, न कि अपने वैध राजस्व को तहस–नहस करने में।

42. एक और टीएसपी ने नियत आईटीसी की मौजूदा विनियामक व्यवस्था को जारी रखने का समर्थन किया और प्रस्ताव किया कि दूरसंचार के क्षेत्र में विभिन्न बदलावों को देखते हुए आईटीसी को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और इसे बढ़ाकर 0.65 से 0.75 रु. प्रति मिनट किया जाना चाहिए। इस टीएसपी के अनुसार, विदेशी ऑपरेटरों ने आईटीसी में प्रति मिनट 23 पैसे की कमी के लाभों को अपने ग्राहकों को नहीं दिया है और केवल अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाया है।

43. एक अन्य सेवा प्रदाता ने कहा कि कई देशों में समापन प्रभार भारत में आईटीसी की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक है और 2015 से 2019 तक डॉलर की विनिमय दर भिन्नता 62 से 71 रु. है और भारतीय आईएलडीओ अकाउंट के सेटलमेंट के लिए विदेशी कैरियर्स को यूएस डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट प्रभार (आईएससी) का भुगतान करते हैं। इस सेवा प्रदाता का मानना है कि इनकमिंग समापन दर, जो वर्तमान में भारत में 0.30 रु. प्रति मिनट है, यू.एस. सेंट के संदर्भ में 1 सेंट/मिनट तय की जाए, जो इनकमिंग आईयूसी की कटौती में विदेशी मुद्रा भिन्नता के संबंध में राहत प्रदान करेगा। इस टीएसपी ने यह भी सलाह दी है कि देश में आईटीसी को सभी समापन नेटवर्क के लिए एक समान रखा जा सकता है।

44. इसी तरह की राय रखने वाली एक कंसलटिंग फर्म के अनुसार, दुनिया के कई देशों में, जहां पर आईएलडी ट्रैफ़िक का एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम है, समापन प्रभार फोरबेयरंस में रखे गए हैं और टीएसपी द्वारा मोलभाव के अनुसार तय किए जाते हैं। चूंकि भारत में समापन प्रभार एक समान दर पर तय किए गए हैं, एफएपी ने तुलनात्मक रूप से अपनी उच्च दरों के साथ इस स्थिति का लाभ उठाया है और वे अपने बाजारों में व्यावहारिक रूप से मूल्य निर्माता बन गए हैं। इस हितधारक के अनुसार, भारतीय आईएलडीओ विदेशी ऑपरेटरों से प्रति मिनट कम राजस्व कमा रहे हैं, जब भारतीय आईएलडीओ द्वारा विदेशी ऑपरेटरों को भुगतान किए गए प्रति मिनट की लागत की तुलना की जाती है। उनकी राय में, भारतीय बाजारों को समान दर जारी रखनी चाहिए, जो कम सेटलमेंट दर वाले देशों के माध्यम से कॉल की रि–रूटिंग कम या समाप्त कर सकते हैं और समापन प्रभार बढ़ाना चाहिएं। उन्होंने इस तर्क के आधार पर आईटीसी को

बढ़ाकर कम से कम 0.60 या 0.70 रु. प्रति मिनट करने का सुझाव दिया है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $ 0.5 की अनुमानित राशि का भुगतान किया जा रहा है।

45. भारतीय बाजार में काम कर रहे एकल आईएलडीओ के अनुसार, उन्हें कम राजस्व मार्जिन के कारण जीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे भुगतान चक्रों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनके अनुसार, सरकार और विनियामक उन एएसपी की मदद कर रहे हैं जो कम मार्जिन का सामना कर रहे हैं। इसी तरह की मदद की जरूरत विशेष रूप से उन आईएलडीओ को है जिनकी पहुंच बड़े कैप्टिव एक्सेस नेटवर्क तक नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया है कि ट्रैफिक असंतुलन, ग्रे मार्केट ऑपरेशन और ओटीटी अनुप्रयोगों के लिए ट्रैफिक शिफ्टिंग के मुद्दों के अलावा, आईटीसी पर व्यवस्था के लिए कोई भी निर्णय लेते समय एकल आईएलडीओ के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे ही एक ऑपरेटर ने सुझाव दिया है कि डीटीसी से ऊपर के किसी भी विभेदक प्रभार को आईएलडीओ और एएसपी के बीच 60:40 के अनुपात में वितरण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस ऑपरेटर के अनुसार, यदि भादूविप्रा द्वारा इस तरह के अंतर राजस्व का वितरण अनिवार्य नहीं किया जाता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक में वर्टिकल स्क्वीज का कारण बनेगा। उनकी राय में, इसका मतलब होगा कि एकल आईएलडीओ एकीकृत सेवा प्रदाताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। इस हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि प्राधिकरण को ऐसे देशों के बीच आईटीसी के लिए कम पारस्परिक व्यवस्था करने के लिए प्रमुख ट्रैफिक विनिमय देशों में विनियामकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करना चाहिए। इससे भारतीय ग्राहकों के लिए आउटगोइंग आईएलडी कॉल की लागत को कम करने और ओटीटी से पीएसटीएन में ट्रैफ़िक को वापस शिफ्ट करने में भी मदद मिलेगी।

46. एक अन्य एकल आईएलडीओ ने तर्क दिया है कि आईयूसी का फ्रेमवर्क "वर्क डन" के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उनकी नजर में, वर्तमान बाजार की स्थिति स्वतंत्र आईएलडीओ को बने रहने के लिए अनुपयुक्त बना रही है। इस आईएलडीओ के अनुसार, कुछ कैरियर्स द्वारा भारत में समापन हेतु दी जा रही बाजार कीमत, जो 0.48 अमेरिकी सेंट (0.345 रु.) है, काफी कम है, जो कि वर्तमान आईटीसी की दर 0.30 रु. होने के कारण आईएलडीओ के लिए केवल 4.5 पैसे का मामूली मार्जिन छोड़ता है। ये सेटलमेंट दर अरक्षणीय हैं। उनकी नजर में, आईएलडीओ को मिल रहा मार्जिन कॉल्स की कैरिज के लिए उनके द्वारा मैंटेन किए जा रहे बैंडविड्थ की लागत तक को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि निवेश पर सही प्रतिफल मिल पाना तो दूर की बात है। इस हितधारक ने भारत से आउटगोइंग आईएलडी कॉल के कैरिज और भारत के लिए इनकमिंग कॉल के विभिन्न चरणों में शामिल उपकरणों और अवसंरचना के बारे में विस्तार से बताया है। इस आईएलडीओ के अनुसार, उन्हें दूरसंचार विभाग और प्राधिकरण द्वारा जारी नियामक निर्देशों का पालन करने के लिए कॉल की रूटिंग, बिलिंग और सेटलमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम के प्रबंधन के लिए अवसंरचना संपत्ति में बड़ा निवेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने पहुंच और मोबाइल ऑपरेटरों को देय आईटीसी प्रभार की वर्तमान दर यानी 0.30 रु. को बनाए रखने और उनके निवेश प्रयासों के लिए आईएलडीओ के लिए अतिरिक्त 0.24 रु. आवंटित करने की सिफारिश की है।

47. आईटीसी में कमी का समर्थन करने वाले एक हितधारक ने कहा है कि एएसपी द्वारा कॉल को समाप्त करने के लिए किया गया काम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कॉल के लिए समान है। उनकी दृष्टि में, आईटीसी को दो चरणों में घरेलू समापन प्रभार (डीटीसी) के बराबर लाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले चरण में आईटीसी को घटाकर 15 पैसे प्रति मिनट किया जा सकता है और दूसरे चरण में इसे डीटीसी के बराबर किया जा सकता है। उनकी राय में, यह ओटीटी कॉलिंग को हतोत्साहित करने में मदद करेगा, जिससे सुरक्षा की चिंता समाप्त होगी और अंततः ऑपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

48. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश हितधारकों ने आईटीसी की दर में वृद्धि का सुझाव दिया है, संशोधित दर के संबंध में उनकी राय अलग–अलग है। जबकि एक हितधारक ने आईटीसी की दर को 3.5 रु. तक बढ़ाने का सुझाव दिया है, उनमें से ज्यादातर ने आईटीसी की दर को बढ़ाकर 0.75 रु. प्रति मिनट करने का सुझाव दिया है। एक अन्य हितधारक ने आईटीसी दर को 0.75 से 1.25 रु. प्रति मिनट करने का सुझाव दिया है। उनमें से कुछ ने आईटीसी की दर में वृद्धि के अनुरोध के साथ, यह भी सुझाव दिया है कि बढ़ी हुई राशि को आईएलडीओ के लिए रखा जाए न कि पहुंच सेवा प्रदाताओं के लिए। एक हितधारक ने आईटीसी की दर को डीटीसी के स्तर तक कम करने के लिए सुझाव दिया है।

49. इससे पहले कि हम आईटीसी की दर को डीटीसी के स्तर तक कम करने के प्रस्ताव की जाँच करें, यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 01.02.2004 से 31.03.2009 तक की अवधि के लिए, प्राधिकरण ने आईटीसी को डीटीसी के बराबर निर्धारित किया था। बहरहाल, 01.04.2009 से, आईटीसी को डीटीसी की तुलना में एक उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः

क. 01.04.2009 से 28.02.2015 तक के लिए आईटीसी 0.40 रु. प्रति मिनट निर्धारित किया गया था जबकि डीटीसी 0.20 रु. प्रति मिनट था।

ख. 01.03.2015 से 31.01.2018 तक के लिए आईटीसी 0.53 रु. प्रति मिनट निर्धारित किया गया था जबकि डीटीसी 0.14/0.06 रु. प्रति मिनट था।

ग. 01.02.2018 से वर्तमान तिथि तक के लिए आईटीसी 0.30 रु. प्रति मिनट निर्धारित किया गया है जबकि डीटीसी 0.06 रु. प्रति मिनट है।

50. दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 के माध्यम से पहली बार आईटीसी और डीटीसी के लिए अलग–अलग दरें निर्धारित करते हुए प्राधिकरण ने कहा था कि लागतों का उन्मुखीकरण आईटीसी को तय करने का एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि भारतीय ऑपरेटरों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए क्या अधिक फायदेमंद है। तत्पश्चात, जब प्राधिकरण ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 के माध्यम से आईटीसी और डीटीसी के लिए अलग–अलग दरें निर्धारित कीं, तो यह कहा था कि आईटीसी को एक ऐसे स्तर पर तय किया जाना चाहिए जो तीन उद्देश्यों को पूरा करती हों यथा (क) आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल पर टैरिफ को कम करने और कॉलिंग कार्ड विनियम से उत्पन्न होने वाली राजस्व हानि को घरेलू टैरिफ तक जाने से रोकने के लिए टीएसपी को बढ़ावा देना; (ख) स्काइप, वाइबर जैसे ओटीटी हितधारकों के लिए ट्रैफिक के डायवर्जन को रोकना; और ग्रे मार्केट के लिए आर्बिट्राज अवसर नहीं बनाना, (ग) विदेशी विनिमय दर भिन्नता के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाना। 2018 में, प्राधिकरण द्वारा आईटीसी की दर को संशोधित करके 0.30 रु. प्रति मिनट करते हुए भी इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था।

51. प्राधिकरण का मानना है कि ये कारक अभी भी अपनी प्रासंगिकता कायम रखे हुए हैं। इसलिए, यह तर्क उचित नहीं है कि केवल वर्क डन सिद्धांत के आधार पर आईटीसी की दर तय की जानी चाहिए। इसके अलावा, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जब 2018 में आईटीसी की दर को 0.53 रु. से घटाकर 0.30 रु. करने से ओटीटी रूट के माध्यम इनकमिंग आईएलडी ट्रैफिक कम नहीं हुआ तो आईटीसी को डीटीसी के स्तर तक लाने से, कैसे ओटीटी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान हो जाएगा, यह स्पष्ट नहीं हैं। इस उपाय का सुझाव देने वाला हितधारक सहायक डेटा के साथ कोई तर्कसंगत कारण देने में विफल रहा है। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग के लिए

ओटीटी ट्रैफ़िक में वृद्धि एक वैश्विक घटना है और अधिकांश अन्य देशों ने अपने डीटीसी के स्तर तक अपने अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार को कम नहीं किया है।

52. प्राधिकरण ने समय–समय पर आईएलडी ऑपरेटरों से इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक से संबंधित आंकड़े एकत्र किए हैं। जिसके आधार पर, एक तिमाही आधार पर आईएलडी ट्रैफिक मिनट चित्र 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

चित्र 2: आईएलडी ट्रैफिक मिनट (बिलियन में)

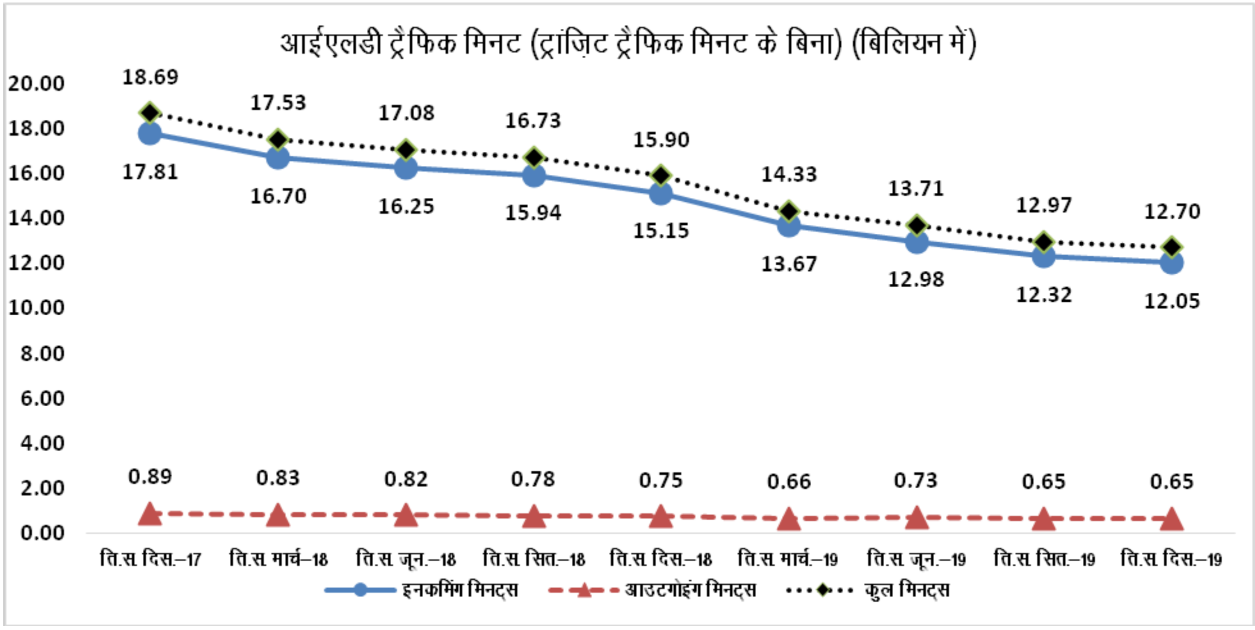

चित्र 2 से, यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि भारत से इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी ट्रैफिक पिछले दो वर्षों के दौरान, अलग–अलग गति से कम हुए हैं, और इनकमिंग एवं आउटगोइंग आईएलडी मिनटों के बीच असंतुलन अभी भी काफी अधिक है और यह 18:1 पर है अर्थात् भारत में इनकमिंग आईएलडी मिनट भारत से आउटगोइंग आईएलडी मिनट से 18 गुना अधिक हैं। इसके अलावा, जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय ऑपरेटरों की आउटगोइंग आईएलडी कॉल के लिए समापन प्रभार के लिए प्रति मिनट लागत, प्रति मिनट आधार पर विदेशी ऑपरेटरों द्वारा भुगतान किए गए समापन प्रभार से उन्हें प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में बहुत अधिक है। आईएलडीओ किसी भी देश की उच्च समापन दर का भार भारतीय पहुंच प्रदाताओं पर डालते हैं, जिससे भारतीय ग्राहकों को आईएसडी की सस्ती दर प्रदान करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। आईटीसी की दर में वृद्धि से मूल्य निर्धारण आर्बिट्राज को कम करने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में विदेशी ऑपरेटरों के पक्ष में है। हालांकि, आईटीसी की दर में किसी भी वृद्धि पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ग्रे और ओटीटी बाजारों से लगातार खतरे के प्रति भी सचेत है। इसलिए, आईटीसी की दर में किसी भी वृद्धि को इन दो विरोधी कारकों के बीच कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।

53. बहुत अधिक उच्चतम सीमा ग्रे मार्केट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित कर सकती है, और अगर एफएपी आईटीसी में इस वृद्धि को अपने ग्राहकों को पास करती है, तो यह कैरियर से ओटीटी रूट के लिए आईएलडी वॉइस ट्रैफिक के डायवर्जन को बढ़ा सकती है। यह न सेवा प्रदाताओं के हित में होगा और न ही पूरे देश के हित में। इसके अतिरिक्त, एक सेवा प्रदाता उच्च आईटीसी दरों को बनाए रखने का इच्छुक हो सकता है, जिससे विदेशी कैरियर के साथ मोलभाव में ज्यादा समय लग सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कभी–कभी बाजार

में अनिश्चितता और विवाद उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, आईटीसी दर को भारतीय रुपये के स्थान पर, यूएस डॉलर में तय करने का सुझाव भी उचित नहीं है क्योंकि यह भारत के भीतर भारतीय पहुंच सेवा प्रदाताओं और आईएलडीओ के बीच एक सेटलमेंट है। इसलिए, कुछ इष्टतम मूल्य पर उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इन चिंताओं का समाधान किया जा सके। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, प्राधिकरण का मत है कि उच्चतम सीमा एक ऐसे स्तर पर तय की जानी चाहिए जो पहले से पहचाने गए निम्नलिखित तीन उद्देश्यों को पूरा करता हो:

(क) आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल पर टैरिफ को कम करने के लिए टीएसपी को बढ़ावा देना;

(ख) ओटीटी हितधारकों के लिए ट्रैफिक के डायवर्जन को रोकना और ग्रे मार्केट के लिए मध्यस्थ अवसर नहीं बनाना, और

(ग) विदेशी विनिमय दर भिन्नता के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाना।

54. अधिकांश हितधारकों ने आईटीसी की दर को 0.75 रु. प्रति मिनट तक बढ़ाने का सुझाव दिया है तो कुछ ने 3.50 रु. प्रति मिनट तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, आईटीसी की दर में बेतहाशा वृद्धि किसी भी हितधारक के हित में नहीं हो सकती है। जैसा कि पैरा 32 में निष्कर्ष निकाला गया है, प्राधिकरण का इरादा पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर आईटीसी की दर तय करने का है। अब सवाल यह है कि आईटीसी के लिए सीमा क्या होनी चाहिए। एक उचित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि प्रस्तावित सीमा आईटीसी की वर्तमान दर और अंतिम संशोधन से पहले प्रचलित दर के बीच तय की जाए। यहाँ यह कहना उचित होगा कि अंतिम संशोधन से पहले की दर (0.53 रु. प्रति मिनट) का क्रमिक संशोधनों के माध्यम से एक अवधि में विकास हुआ था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शुरूआत में, वर्ष 2003 में, आईटीसी और डीटीसी की दरें समान मूल्य पर निर्धारित की गई थीं, अर्थात 0.30 रु. प्रति मिनट। इसके बाद, 2009 में, पहली बार, आईटीसी और डीटीसी की दरों को अलग–अलग मूल्यों पर तय किया गया था और हालांकि डीटीसी की दर को घटाकर 0.20 रु. प्रति मिनट कर दिया गया था, जबकि आईटीसी की दर को बढ़ाकर 0.40 रु. प्रति मिनट किया गया था। विदेशी मुद्रा दर भिन्नताओं का लागू करने के बाद, 0.40 रु. प्रति मिनट की दर को वर्ष 2015 में फिर से संशोधित करके इसे 0.53 रु. प्रति मिनट किया गया था। तदनुसार, पिछले संशोधन से पहले की प्रचलित दर विदेशी मुद्रा दर समायोजन के साथ 2009 से जारी थी। आईटीसी की वर्तमान दर पर निम्न सीमा, सेवा प्रदाताओं के मौजूदा राजस्व की रक्षा करेगी। इसके अलावा, इन दरों का पहले परीक्षण किया जा चुका है जिससे बाजार में कोई व्यवधान आने की संभावना नहीं है। यह न केवल विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करेगा बल्कि सेवा प्रदाताओं को आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा। इसके अलावा, इन दरों को विदेशी मुद्रा दर भिन्नताओं के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। अंतिम संशोधन से पहले, जब आईटीसी की दर 53 पैसे प्रति मिनट तय की गई थी, यूएसडी के लिए विनिमय दर 62 रुपये प्रति डॉलर थी। यह दर अब लगभग 75 से 76 रु. प्रति अमेरिकी डॉलर है। इसलिए, 53 पैसे के लिए विदेशी मुद्रा दर भिन्नता समायोजन लगभग 65 पैसे के बराबर होगी। इसी तरह, 30 पैसे के लिए समतुल्य विदेशी मुद्रा दर भिन्नता समायोजन लगभग 35 पैसे होगी। इसलिए, आईटीसी की दर के लिए 35 से 65 पैसे प्रति मिनट की सीमा सबसे उपयुक्त होगी।

55. कुछ एकल आईएलडीओ ने सुझाव दिया है कि यदि प्राधिकरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए असममित समापन प्रभार रखने का फैसला करता है, तो घरेलू समापन प्रभार के अलावा प्रभारित की गई अतिरिक्त राशि को आईएलडीओ और पहुंच सेवा प्रदाता के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। यह मांग करते हुए, उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि यह उनकी जीविका के लिए भी जरूरी है क्योंकि बाजार में कैरिज प्रभार 4.5 पैसे के निम्न स्तर पर पहुंच गया है। यहां यह कहना उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएलडीओ के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत कैरिज प्रभार है, जिसे फोरबेयरंस में रखा गया है। यह एकल के साथ–साथ एकीकृत आईएलडीओ पर भी समान रूप से लागू होता है। तदनुसार, आईएलडीओ आईएलडी कॉल के लिए कैरिज दर तय करने के लिए स्वतंत्र

हैं, जो उनके निवेश पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करता है। एकल और एकीकृत आईएलडीओ को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण यह अधिदेशित कर रहा है कि एक पहुंच सेवा प्रदाता, चाहे वो बेसिक सर्विस ऑपरेटर (बीएसओ), सेलुलर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर (सीएमएसपी), यूनिफाइड एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर (यूएएसपी) हो या यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) लाइसेंसधारी हो, सभी को अर्थात् अपने संबद्ध आईएलडीओ और एकल आईएलडीओ को समान दर ऑफर करेगा। इस प्रावधान का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लंघन करने वालों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

56, चूंकि आईएलडीओ बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के अनुसार कैरिज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो परिचालन की अपनी लागत को वसूल कर सकते हैं और लाभ की उचित राशि सुनिश्चित कर सकते हैं, आईएलडीओ के साथ समापन प्रभार शेयर करने और आईएलडीओ के लिए अलग प्रति मिनट प्रभार तय करने के रूप में इस समय पर किया गया कोई भी विनियामक हस्तक्षेप कैरिज प्रभार के लिए फ्लोर मूल्य रखने का कारण बन सकता है। इससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। तदनुसार, प्राधिकरण की राय में, एकल आईएलडीओ की यह मांग उचित नहीं है। प्राधिकरण का मानना है कि आईटीसी में भारतीय आईएलडीओ और पहुंच सेवा प्रदाता के बीच किसी भी राजस्व हिस्सेदारी को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

57. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि आईटीसी की दर को 0.35 रु. प्रति मिनट से 0.65 रु. प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर फोरबेयरंस में रखा जाएगा।

58. चूंकि देश में पहली बार आईटीसी की दर के लिए यह नई विनियामक व्यवस्था निर्धारित की जा रही है, इसलिए प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन पर करीबी नजर रखेगा, जिसमें देश में आईएलडी वॉइस ट्रैफिक के रुझान और पैटर्न भी शामिल हैं। प्राधिकरण, यदि जरूरी समझा गया, तो उचित समय पर इस व्यवस्था के साथ–साथ आईटीसी की दर की समीक्षा कर सकता है।